हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27.06.2023:—वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना—पत्र मे कथन किया कि प्रकरण मे निर्णय दिनांक 03.04.2023 को मुताबिक पक्षकारान राजीनामा डिक्री निर्णय पारित किया गया है। मुल वाद मे प्रतिवादी सख्या 2 हजारीराम का हक हिस्सा दावा मे चक नम्बर 43 एस.एस.डब्ल्यू. के म0न0 44 पत्थर नम्बर 71/316 किला नम्बर 3, 4, 5/1/.228, 5/2/0.025, 6/1/.228, 6/2/0.025 कुल 1.265 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी को दिया गया था। लिपिकिय त्रुटिवंश के कारण पत्थर नम्बर 71/316 के स्थान पर 72/316 दर्ज हो गया है। इस दुरूस्ती से किसी का भी नुकसान नही होगा।

प्रार्थना—पत्र पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया की निर्णय मे लिपिकिय त्रुटि हुई है जो कि दुरूस्त की जानी न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2023 मे दुरूस्त किया जाकर पत्थर नम्बर 71/316 के स्थान पर 72/316 के स्थान पर "पत्थर नम्बर 72/316 के स्थान पर 71/316" को पढ़ा जावे। यह आदेश निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डअधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2023.08.02 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner